अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.3(4)प्राशि/आयो/2016 जयपुर, दिनांक 14 सितम्बर, 2016

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।

विषयः— माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा विद्यालयों के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु जारी निर्देशों के क्रियान्वयन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने हेतु किए जा रहे नवाचारों के संबंध में 5 सितम्बर, 2016 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा विद्यालयों के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु निम्नांकित निर्देश प्रदान किए गये हैं :—

1. राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के उपयोग हेतु विद्यालय भवन के प्रवेश कैरीडोर में उपयुक्त स्थान पर दर्पण (Miror) लगाया जावे जिससे विद्यार्थी उसमें अपना प्रतिबिम्ब देख कर स्वयं को स्वच्छ एवं साफ रखने हेतु प्रोत्साहित होगें।
2. विद्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ की जानकारी अभिभावकों एवं आम नागरिकों को सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर कार्यरत संस्थाप्रधान, अध्यापक एवं अन्य कार्मिकों के शैक्षिणिक एवं संस्थापन विवरण सहित फोटो (Photograph) लगवाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
3. सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सभी कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना किये जाने का प्रमाण—पत्र प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्थाप्रधान, ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जिसे ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक को अग्रेषित करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा

उक्त प्रमाण पत्रों को सूचीबद्ध तैयार कर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा को भिजवायेंगे तथा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा पालना का प्रमाण पत्र राज्य सरकार को भिजवायेंगे। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्थाप्रधान उक्त तीनों निर्देशों की पालना का प्रमाण–पत्र अपने जिले से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को प्रेषित करेंगे जिसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक सूचीबद्ध कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भिजवायेंगे तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज्य सरकार को पालना का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर राज्य सरकार को निदेशालय स्तर से पालना प्रमाण पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2016 तक भिजवाये जाने का श्रम करे।

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक मा0 शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा ।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक।
7. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन. यादव)
अनुसंधान अधिकारी